

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] No. 261] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2008/वैशाख 19, 1930 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2008/VAISAKHA 19, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)

( पत्तन स्कंध)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

सा.का.नि. 357(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग (पत्तन स्कंध) की दिनांक 1 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 326(अ) के साथ पठित दिनांक 19 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 194(अ) और दिनांक 22 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 298(अ) के क्रम में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना मंं क्रम सं. 4 के बाद निम्नलिखित को कांडला पत्तन के बोर्ड में न्यासी के रूप में नियक्त करती है :—

#### तालिका

 प्रधान अधिकारी (प्रभारी) समुद्री वाणिज्य विभाग के समुद्री वाणिज्य विभाग, कांडला प्रतिनिधि ।

> [फा. सं. पी टी-18011/12/2007-पी टी] राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WINC)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2008

G.S.R. 357(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping (Ports Wing), No. G. S. R. 194(E) dated 19th March, 2008, No. G. S. R. 326(E) dated 22nd April, 2008 read with No. G. S. R. 326(E) dated 1st May, 2008, the Central Government hereby appoints the following as trustees after serial number 4 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

## TABLE

5. Principal Officer (I/C)
Mercantile Marine
Department, Kandla

Representing
Mercantile Marine
Department.

[F. No. PT-18011/12/2007-PT] RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.